Saturday, 01 September, 1973

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
F. No.
On 24-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28, शनिवार, 1 सितम्बर, 1973/10 भाद्र, 1895 (शक)

No. 28, Saturday, September 1, 1973/Bhadra 10, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	1
राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक	Industries (Development and Regulation) Amendment Bill as passed by Rajya Sabha	1
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of privilege	1
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक	Code of Criminal Procedure Bill	2—7
खंड 144 से 435 तक	Clauses 144 to 435	7—58

लोक-सभा

LOK-SABHA

शनिवार, 1 सितम्बर, 1973/10 भाद्र, 1895 (शक)

Saturday, September 1, 1973/*Bhadra* 10, 1895 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair]

राज्य सभा से सन्देश

Messages from Rajya Sabha

सचिव: मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:—

"कि राज्य सभा ने 30 अगस्त, 1973 की अपनी बैठक में उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1973 पास कर दिया है।"

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, as passed by Rajya Sabha

सचिव: मैं उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, I hope you will make a reference to the victory that India has gained in semi-final of Hockey. We hope to win in final.

Mr. Speaker: We congratulate our team and hope to win in final.

विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री लिमये को बताना चाहता हूं कि मैं उनका विशेषाधिकार प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहा हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. Speaker, Sir, I have not received the answers of my questions number 5121 and 5231. I consulted the library also in this connection but the answers to my questions were not available there. Even the press correspondents had not received the replies. My inquiries revealed that there was no lapse either on the part of Parliament Secretariat or the Finance Ministry and it was only the Press Information Bureau that was responsible for the non-circulation of the answers. It is the duty of the Press Information Bureau to circulate all papers that are laid on the Table of the House amongst the press Correspondents. They have no other source for getting the information and if they are kept ignorant how can they enlighten the public.

The hon. Deputy Speaker had assured me yesterday that he will look into the matter. I therefore want to raise a question of privilege against the officers of Press Information Bureau and Information and Broadcasting Ministry.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The hon. member is right when he says so. It has long been suspected that all that is laid on the Table of the House is not released to the press. This time they have been caught red handed.

Mr. Speaker: It is for the first time that such a complaint has been brought to my notice.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : There is acute shortage of coal and as a result thereof the factories in the country are being closed. The hon. Minister should give a statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : आज इस विधेयक को पारित करने के अतिरिक्त कुछ नहीं लिया जाएगा । आप मुझे इस बारे में लिख कर भेजिए मैं उसे मंत्री महोदय को भिजवा दूंगा ।

Code of Criminal Procedure Bill—*Contd.*

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक—जारी

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): We are at the moment considering Section 144 of the Code of Criminal Procedure Bill. This Section has a long history behind it. It is an omnibus section and its operation extends to all and at all times. I fail to understand as to why the Section has been worded so liberally. I am quoting few lines below :

> "If such magistrate considers that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed...."

I want to know the exact connotation of the word annoyance. Whether this annoyance will be subjective or objective. Annoyance is not something which is visible. It is all a state of mind. We are basically against it. Such a language makes it all the more painful. Further it is written :

> "..... or a disturbance of the public tranquillity, or a riot, or an affray."

Its scope is unlimited. It needs amendment. It should be so worded that even if we don't approve of it, we may swallow it as a bitter pill.

श्री दशरथ देवे (त्रिपुरा-पूर्व) : धारा 144 का हर कहीं दुरुपयोग हुआ है । मैं श्री दिनेश जोरदर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं । मेरे राज्य में जब भी कभी गरीब जातियों अथवा गरीब किसानों का बड़ जोतदारों से झगड़ा होता है, तो सरकार झट धारा 144 लगाकर गरीब किसानों

को उनके खेतों में जाने से रोक लगा देती है आदिवासी लोग पुश्तों से अपने खेतों में खेती कर रहे है पर अचानक यदि कोई धनवान व्यक्ति आकर कहता है कि वह जमीन उसकी है तो स्वभावतः वह उसका विरोध करते हैं और जब मामला अदालत तक जा पहुँचता है तो अदालत धारा 144 लगा देती है। इससे गरीब किसानों को बहुत नुकसान होता है । धनवानों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अतः यह धारा शान्ति बनाए रखने की अपेक्षा मुसीबत पैदा करने वाली है इसी कारण मैं इसका विरोध करता हूँ और श्री दिनेश जोरदार द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए !

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : श्री दिनेश जोरदर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो अन्य पहलुओं को ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ ।

धारा 144 के अधीन मजिस्ट्रेट को लिखित आदेश, जारी करने की शक्ति दी गई है । केवल आवश्यक यह है कि लिखित आदेश के मामले को यथार्थ तथ्यों के बारे में कहा जाना चाहिए। केवल न्यायिक दायित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह हैं कि आदेश देने के साथ कारणों का वर्णन किया जाना चाहिए । किन्तु उच्च न्यायालय में चुनौती देना कठिन हो गया है क्योंकि इसमें कारण नहीं बताए जाते । अतः मजिस्ट्रेट को कारण बताना चाहिए । उस खंड में इस संबंध में संशोधन किया जाना चाहिए ।

दूसरे उपखंड (4) में मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसा आदेश दे जो 2 महीने तक लागू रहे किन्तु इस परन्तुक से कार्यपालिका अर्थात् राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वह इस दो महीने की अवधि को बढ़ाकर 6 महीने तक कर सकती है । इस प्रकार कार्यपालिका मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक प्राधिकारी के निर्णय पर बैठी हुई है । हम चाहते हैं कि यदि ऐसी शक्ति दी भी जाए तो वह सीमित होनी चाहिए और जैसा इस खंड म दिया गया है यह शक्ति असीमित नहीं होनी चाहिए ।

आदेश देने के लिये कारण नहीं दिये जायेंगे । दूसरी ओर राज्य सरकार को न्यायिक कर्त्तव्य करने के मामले में कार्यपालकों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की शक्ति दी गई है, हम चाहते हैं कि यदि शक्ति दी भी जाये तो सह निर्बन्धित शक्ति होनी चाहिए, इस खंड में जिस प्रकार की शक्ति दी गई है वैसी नहीं होनी चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री दिनेश जोरदर द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करता हूँ । हमें धारा 144 का कटु अनुभव है ।

आप जानते हैं कि पहले संसद भवन के काफी निकट शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति थी परन्तु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पश्चात् इस क्षेत्र में प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है और अब प्रदर्शनकारी केवल बोट क्लब तक ही आ सकते हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे । उन्हें संसद भवन के निकट आने की अनुमति नहीं है । उन्हें दिये गये आश्वासनों के उपरान्त, उन्हें आपके पास आकर कार्य ज्ञापन देने से मनाही है ।

अतः धारा 144 का कार्यपालकों द्वारा दुरुपयोग किया गया है और मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें असीमित शक्तियां दी गईं तो फिर उसका दुरुपयोग करेंगे । संसद भवन के निकट धारा 144 के अन्तर्गत जो रोक लगाई है उसमें छूट दी जाए ।

मंत्री महोदय यह अनुभव करें कि यह एक पैना औजार इन लोगों के हाथों में है जिसका वे दुरुयोग करेंगे। इस प्रकार के संशोधन हमें प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते । यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति होगी तो हिंसा की घटनाएँ कम होंगी ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर) : यह बहुत ही गम्भीर मामला है क्योंकि यह मूल अधिकारियों को प्रभावित करता है । संविधान के संदर्भ में गैर-वाजिब निर्बन्धनों को समर्थन नहीं दिया जा सकता। ऐसे समय में सरकार इस विधेयक में नये खंड और संशोधन क्यों ला रही है जब देश में खाद्य का संकट है, मूल्यों का संकट है। सरकार स्वयं लोगों से अपील कर रही है कि वे जमाखोरों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में सहयोग कर । ऐसे समय में सरकार इस प्रकार का संशोधन लाती है तो मैं यहीं कहूँगा कि उसके इरादे नेक नहीं हैं । पहले से ही एक उपबंध है कि धारा 144 के अन्तर्गत लागू किया गया आदेश 2 महीने तक लागू रह सकता है । उसके पश्चात् उसका नवीकरण किया जा सकता है । अब यह असाधारण बात है कि वे इस अवधि को 6 महीने तक बढ़ा रहे हैं । राज्य सरकार ऐसा आदेश दे सकती है जो 6 महीने तक लागू रहेगा। इसका क्या कारण है ? कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिग, राज्य सरकार विधान सभा का मुख्यालय राज-भवन आदि पर स्थायी रूप से धारा 144 लगी रहती है। वहां कोई भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकता। श्री मधुलिमये के संशोधन की धारा 144 को 72 घंटे तक लगाई जा सकती है, का मैं समर्थन करता हूं।

हम इस उपबंध का विरोध करते हैं । सरकार को स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीलमपुर) : इस प्रकार के कानून से बटाईदार गंभीर रूप से प्रभावित है। बटाईदार और जोतदार के बीच विवाद हो जाता है और जोतदार स्थानीय थाने में जाकर धारा 144 का आदेश ले आता है जिससे बटाईदार उस विशेष भूमि को नहीं जोत सकता है। जिसे वह एक या दो या 10 वर्ष से जोत रहा है। इस प्रकार के हजारों मामले होते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस एक संशोधन को स्वीकार करें। यदि वह आवश्यक समझें तो बाद में नया संशोधन लायें।

अध्यक्ष महोदय : हम खंड 145 पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : धारा 145 के अन्तर्गत चाहे जैसे आदेश जारी किये जाते हैं।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : वर्तमान संहिता में धारा 144, उप-धारा (6) के अन्तर्गत 2 महीने से अधिक समय तक कोई आदेश लागू नहीं रहेगा।

अतः प्रारंभिक अवधि दो महीने की ही होगी और नये खंड के अनुसार भी प्रारंभिक अवधि दो महीने की ही है । वर्तमान धारा के अन्तर्गत समय की कोई सीमा नहीं है परन्तु उसे किसी समय तक बढ़ाया जा सकता है। परन्तु बढ़ाया गया समय भी छह महीने तक के लिए सीमित है जबकि आपातकालीन स्थिति रहे या परिस्थितियां ऐसी हों कि निवारण आदेश आवश्यक है इस संशोधन का कारण यह है । यह राज्य सरकार को दिये गये समय के सम्बन्ध में है। उपबन्ध में यह एक सुधार है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I was speaking on Section 144 the day before yesterday. I request you to listen only one sentence. The code was framed in 1861. It is said that when Gandhiji started movement in 1920, the word "public tranquillity" was inserted. This word may at least be got omitted. (*Interruptions*)

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैंने लगभग 5000 से 6000 भूमिहीन और भूमि वाले किसानों के आन्दोलनों का नेतृत्व किया है और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई परन्तु गुंडा तत्व राजनीति में घुस

कर गड़बड़ पैदा करते हैं। जब बहुत अधिक भीड़ होती ह तो गुंडा तत्व नेतृत्व को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस उपबंध से केवल उन थोड़े से लोगों को धक्का लगेगा जिनका गड़बड़ करने में निहित स्वार्थ है । मैं समझता हूं कि जहां तक ऐसी उत्तरदायी कार्यवाही का सम्बन्ध है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, तो इसमें कोई हानि नहीं है ।

Shri R. R. Sharma (Banda): I have given an amendment to omit the word 'annoyance' Since the word is there in the old Criminal Procedure Code, the hon. Minister has kept the same word without thinking anything. Therefore, I request that the word "annoyance" should be omitted and the period of two months regarding the breach of peace should be reduced to 72 hours.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : माननीय सदस्य ने 'एनाएंस' शब्द पर जो शंका व्यक्त की है वह निराधार है। वास्तव में इस शब्द की कई उच्च न्यायालयों ने व्याख्या की है तथा इसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में भी है । इस शब्द का सम्बन्ध किसी भावुक व्यक्ति के संदर्भ में नहीं है वरन इसका आशय है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर कब्जा करने या उसे तंग करने से उस व्यक्ति के नाराज होने की संभावना।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सर्वोच्च न्यायालय ने इस खण्ड के उप खण्ड 6 को दो कारणों से रद्द कर दिया था तथा हमने उन दोनों त्रुटियों को दूर कर दिया है । अब राज्य सरकारें आदेश को 6 महीने से आगे नहीं बढ़ा सकतीं तथा राज्य सरकार अथवा सम्बद्ध मजिस्ट्रेट को पार्टियों के विचार सुनने का अवसर देना पड़ेगा (**व्यवधान**) यह तर्क न्याय संगत है कि आदेश में कारणों का उल्लेख होना चाहिए। किन्तु चूंकि यह खण्ड एक समेकित खण्ड है, अतः इसमें कोई संशोधन करने से यह खण्ड निष्प्रयोजन हो जाएगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला मजिस्ट्रेट सारी परिस्थितियों की देखभाल नहीं कर सकता केवल जिला मजिस्ट्रेट को ही आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाना संभव नहीं है । मजिस्ट्रेट को यह आदेश जारी करने का अधिकार तभी है जब वह इस बात को मालूम करें कि स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है। अतः मैं किसी भी संशोधन को मानने को तैयार नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 138 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 138 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 198 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 198 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 199 सभा में मतदान के लिए रखा गया ।

The amendment No. 199 was put.

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 32		विपक्ष में	110
Ayes 32		Noes	110

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 200 सभा में मतदान के लिये रखा गया।

The amendment No. 200 was put.

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 24	विपक्ष में 105
Ayes 24	Noes 105

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 201 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 201 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 236 सभा में मतदान के लिये रखा गया।

The amenlment No. 236 was put.

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 25	विपक्ष में 112
Ayes 25	Noes 112

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

श्री एस० एन० बनर्जी : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमानुसार प्रत्येक मत विभाजन के बाद द्वार खोले जाने चाहियें तथा लोबी क्लीयर होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह मत विभाजन केवल एक ही खंड के बारे में थे अतः इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। जहां तक मत विभाजन का सम्बन्ध है प्रत्येक मत विभाजन के लिये माननीय सदस्यों को कहना पड़ता है। वास्तव में यह सुविधा के लिये ऐसा किया गया है। प्रत्येक मत विभाजन के बाद दरवाजों को खोलना और बंद करना असुविधाजनक है। फिर भी यदि अब नियमों का कठोरता से पालन करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नानूभाई एन० पटेल (बलसार) : दरवाजे बंद होने के कारण मैं अन्दर नहीं आ सका। अन्य माननीय सदस्य भी दरवाजा खुलने की प्रतिक्षा कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में नियम स्पष्ट है, आप सभा का समय व्यर्थ क्यों नष्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 237 और 238 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 237 and 238 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 240...

श्री मधु लिमये : संशोधन संख्या 239 का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 239 संशोधन संख्या 200 के ही अनुरूप है। अतः मैं 239 को मतदान के लिये नहीं रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 240 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 240 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 144 विधेयक का अंग बने"।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 123	विपक्ष में 25
Ayes 123	Noes 25

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 144 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 144 was added to the Bill.

खण्ड 145

श्री राम रतन शर्मा : महोदय ! मैं अपने संशोधन संख्या 262 और 263 प्रस्तुत करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि इसका निर्णय एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बजाय जुडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: I want to draw the attention of the hon. Minister to the fact that big landlords take recourse to clause 145 against the small landlords and tenants in the courts. Will the hon. Minister give an assurance here that clause 145 is not applied against the interests of share croppers and tenets ?

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): It is a fact that clause 145 is connected with land and executive matters to maintain peace. But unfortunatly it has been utilized by land lords and rich and influencial persons against the interests of landless labourers and tenants. No protection is given to poor persons under this clause.

I want to draw the attention of the hon. Minister to the provision made in the Tenancy Act by the Bihar Government regarding the eviction. May I know whether the provisions under this clause would not be contradictory to the law passed and imposed by Bihar State ?

May I also know the steps proposed to be taken by the Government to ensure that these provisions are not utilized against the interests of poor tenants ?

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : मैं श्री राम रतन शर्मा के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के स्थान पर ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए क्योंकि एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेटों के पास प्रशासनिक मामले ही बहुत अधिक हैं । उन्हें इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिये समय ही नहीं मिल पाता जिसके परीणामस्वरूप लोगों को महीनों और वर्षों तक कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं । मैं संशोधन संख्या 263 का भी समर्थन करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि भूमि संबंधी मामलों को निपटाने के लिये थोड़े समय-सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिये क्योंकि समय-सीमा के बिना अनेक मामलों में किसानों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है तथा कई बार वे अपनी फसल तक नहीं काट सकते । फसल खड़ी-खड़ी नष्ट हो जाती है अथवा उसे लूट लिया जाता है ।

श्री राम निवास मिर्धा : कुछ राज्यों में ऐसे मामलों का फैसला करने का अधिकार ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेटों को दे दिया गया है किन्तु कुछ राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया । खंड 478 में हमने यह व्यवस्था की है कि कोई राज्य सरकार विधान सभा में संकल्प पारित करके जूडीशियल मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे सकती है ।

बिहार राज्य द्वारा बनाये गये कानून तथा इस खंड के अंतर्गत उपबन्धों में किसी टकराव का मुझे इस समय कुछ पता नहीं है। किसी राज्य सरकार की ओर से मैं कोई आश्वासन भी नहीं दे सकता। किन्तु अब हमने इस बारे में 6 महीने की सीमा निर्धारित कर दी है । अतः मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 262 और 263 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 262 and 263 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 145 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 145 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 145 was added to the Bill.

खंड 146

अध्यक्ष महोदय : इस खंड में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है "कि खंड 146 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 146 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 146 was added to the Bill.

खण्ड 147

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि: पृष्ठ 51, पंक्ति 16 में,

"of section 147 (धारा 147 की) शब्दों का लोप किया जाये" (संख्या 30)

पृष्ट 51, पंक्तियां 17–18 में,

"of section 147 (धारा 147 की) शब्दों का लोप किया जाये" (संख्या 31)

Shri Madhu Limaye: This clause is related to water disputes. I would like to suggest that while settling water disputes under this clause the interests of the small farmers should be safeguarded. Instruction must be issued to Executive Magistrates in this regard.

श्री राम निवास मिर्धा : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

Shri Bhogendra Jha: It has been observed that big landlords have made ponds tanks and public land their own property. I demand that public property should be made available to the common people for their use.

Shri Ram Niwas Mirdha: As I have said we would see whether detailed instructions can be issued in this matter or not.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 51, पंक्ति 16 में,

"of section 147" (धारा 147 की) शब्दों का लोप किया जाये (संख्या 30)

पृष्ठ 51, पंक्तियां 17–18 में,

"of section 147" (धारा 147 की) शब्दों का लोप किया जाये (संख्या 31)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 147, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 147, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 147, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 148 और 149 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 148 and 149 were added to the Bill.

खण्ड 150

Shri R. R. Sharma: Sir, I beg to move my amendment No. 264. With this amendment we can have a check over the police officers who utilise this provision arbitrarily. Therefore, I suggest that police should take any action after receiving information of reliable nature.

श्री राम निवास मिर्धा : इस संशोधन से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तथा इससे इसकी क्रियान्विति में भी कोई सहायता नहीं मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 264 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 264 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 150 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 150 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 150 was added to the Bill.

खंड 151

श्री शम्भू नाथ (सैदपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 52, पंक्ति 5 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"(2) No person arrested under sub-section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty-four hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorised under any other provisions of this Code or that of any other law for the time being in force".

[(2) उप-धारा (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा जब तक कि उसका अतिरिक्त निरोध इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित न हो या प्राधिकृत न हो ।] (संख्या 122)

श्री दिनेश जोरदर : मैं संशोधन संख्या 182 और 183 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम रतन शर्मा : मैं संशोधन संख्या 265 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दिनेश जोरदर : मैंने संशोधन संख्या 182 और 183 में यह सुझाव दिया है कि किसी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट द्वारा आदेश या वारंट जारी किये बिना गिरफ्तार न किया जाय । इस खंड के उपबन्धों के अनुसार पुलिस अफसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के संदेह में गिरफ्तार कर सकता है । हम उस व्यवस्था का पहले से ही विरोध करते आ रहे हैं । यह उपबन्ध अत्यंत खतरनाक है तथा सत्तारुढ़ दल इस उपबन्ध के सारे विपक्षी दलों से मनमाने तौर पर बदला ले सकता है, राजनीतिक नेताओं को उनके कार्यकर्त्ताओं को अकारण गिरफ्तार करा सकता है ।

अगस्त 18 को विपक्षी दल के नेता मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बंद के सम्बन्ध में शांतिपूर्ण वातावरण में एक बैठक कर रहे थे । मुख्य मंत्री बिना किसी कारण के बन्द को रोकने के लिये उन नेताओं को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिये । अतः इस प्रकार सत्तारूढ़ दल तथा पुलिस अधिकारियो को मनमानी से विपक्षी दलों के नेताओं को तंग किया जाएगा तथा हमारे देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली को भारी आघात पहुंचेगा ।

Shri Shambhu Nath: Under clause 151 police have been given high powers. I have therefore, suggested, "No person arrested under sub-section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty-four hours from the time of his arrest...." I hope the hon. Minister should accept this amendment.

Shri R. R. Sharma: Sir, Government have not defined the word "design" as a result of which police have got unlimited powers. Therefore, I have demanded that after the word design "after satisfying himself that the person is going" should be added. Past experience shows that the leaders of opposition parties are arrested by police without any reason. Therefore, it is a dangerous provision and it would be against the democratic rights of the people. I request that my amendment should be accepted.

Shri Bhogendra Jha: Sir, even after the independence thousands of workers and farmers have been arrested under this clause for the purpose of crushing the public agitations. After the contradictory ruling given by the Supreme Court and various High Courts Government should have omitted this clause. But they did not do it. In this context, I suggest that the first portion of the amendment moved by shri Shambhu Nath to the effect that "No person arrested under sub-section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty-four hours from the time of his arrest," should be accepted.

Shri Shivnath Singh (Jhenjhunu) : Clause 151 is generally applied against poor and common people. It is being misused. It is not proper to delegate powers to the police under clause 151. Therefore, the amendment may be accepted and the powers should not be delegated to the police.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Even elder freedom fighter of the calibre of Acharya Kripalani was arrested under clause 151. This is how this clause is being misused.

Shri R.V. Bade (Khargone) : Police is armed with wide powers under clause 144 and 151. Amendment to clause 151 should be accepted.

श्री वी० नारायण राव (बीबिली) : पुलिस को सचमुच गिरफ्तार करने की अधिक शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं । नागरिकों की शहरी आजादी पुलिस अधिकारियों की कृपा पर रहती है । इस धारा के दुरुपयोग किये जाने की आशंका है । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि पुलिस इन शक्तियों का दुरुपयोग न करे । अतः मंत्री महोदय को माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करना चाहिये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम पुलिस को अधिक गिरफ्तारी के अधिक अधिकार क्यों दें । पुलिस इन अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है ।

श्री शम्भू नाथ के संशोधन के बाद जो कुछ जोड़ा गया है उसके द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग होगा । अतः मैं सुझाव देता हूं कि जो शम्भू नाथ द्वारा प्रस्तुत संशोधन के पहले भाग को ही स्वीकार किया जाये ।

श्री बी० आर० शुक्ल : प्रज्ञेय अपराध के निवारणार्थ इस धारा के दंड सहिता प्रक्रिया में रखा गया है । इसका पुलिस ने दुरुपयोग किया है । कानून के कार्यान्वयन और इसके होने की आवश्यकता

के बीच अंतर है । इस धारा के अन्तर्गत अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध झूठे अभियोग चलाये जाते हैं । इस धारा के अन्तर्गत निराधार अभियोग भी चलाये जा सकते हैं । श्री शम्भु नाथ के संशोधन का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है । यदि उसे नजरबंद किया जाये तो उसे रिहा नहीं किया जायेगा । मजिस्ट्रेट के सामने साक्ष्य धारा 117 के अंतर्गत लिये जायेंगे । मेरे विचार में इस धारा में कोई त्रुटि नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : I think that the amendment of Shri Shambhu Nath should be accepted. I can say from my personal experience that section 151 is misused. The hon. minister should think over it seriously. I suggest that a provision regarding declaring the violation of this provision by the Poice officer, as a cognizable offence should be added with the amendment.

श्री राम निवास मिर्धा : श्री शम्भू नाथ के संशोधन का उद्देश्य यह है कि पुलिस को इस धारा के अधीन कार्य करने से पहले अपने आप को संतुष्ट करना चाहिये । दूसरा संशोधन यह है कि मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार न किया जाये । इस धारा का उद्देश्य प्रज्ञेय अपराधों का निवारण करना है । यदि मजिस्ट्रेट को बीच में लाया जाये तो इस धारा का अर्थ ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री शम्भू नाथ के संशोधन के दो भाग हैं चूंकि इस संशोधन को सभा का समर्थन प्राप्त हुआ है, इस लिये हम इसे स्वीकार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ 52,—

पंक्ति 5 से 7 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रस्तापित किया जाये**—

"(2) No person arrested under sub-section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty-four hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorised under any other provisions of this Code or that of any other law for the time being in force."

[(2) उप-धारा (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक कालावधि के लिये अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जायेगा जब तक कि उसका अतिरिक्त निरोध इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धो के अधीन अपेक्षित न हो या प्राधिकृत न हो ।] (संख्या 122)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 182, 153, और 265 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 182, 153 and 265 wer put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

खंड 151, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 151, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 151, as amended, was added to the Bill.

खंड 152 से 161 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 152 to 161 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : हम छुट्टी को रद्द करके आज इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं ....

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : लंच को रद्द न कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : इस आशा से कि इसे आज पारित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : 6 बजे तक बहस समाप्त हो जानी चाहिये। मुझे आशा है कि आप इन खंडों पर कम-से-कम समय लेंगे।

श्री दिनेश जोरदर : हम सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन हम इस पर पूरी चर्चा चाहते हैं और लंच भी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के लिए उठते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 162 पर चर्चा करेंगे।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 54, पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"Statements to police not to be signed : use of statements in evidence.

[पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना; कथनों का साक्ष्य में उपयोग]

[संशोधन संख्या 32]

पृष्ठ 54, पंक्ति 40, No (नहीं) शब्द के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

Shall, if reduced to writing, be signed by the person, making it; nor shall any such statement or any

[यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा न ही ऐसा कथन या]

[संशोधन संख्या 33]

पृष्ठ 54, पंक्ति 41 :—

and no (और) के स्थान पर 'or any'(या) प्रतिस्थापित किया जाए।

[संशोधन सिंख्या 34]

पृष्ठ 54 पंक्ति 42 "shall" का लोप किया जाये।

पृष्ठ संख्या 53, पंक्ति 41 "लाया जायेगा" के स्थान पर "लाया जाये" रखा जाये।

[संशोधन संख्या 35]

पृष्ठ 55, पंक्ति 15 'of this section' (इस धारा की) शब्दों का लोप कर दिया जाए।

[संशोधन संख्या 36]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 162, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 162, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clase 162, as amended to the Bill.

खंड 163 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 163 was added to the Bill.

खंड 164

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 157 पेश करता हूं।

खंड 161 से 164 में पुलिस अधिकारियों द्वारा और कुछ मामलों में दंडाधीषों द्वारा भी गवाहों की जांच करने की व्यवस्था की गई है। आत्म-स्वीकृतियों को दर्ज करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। पहले गवाहों की जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती थी और जिस कागज पर गवाही ली जाती थी उस पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं होते थे और दोशी को गवाह के ब्यान को खंडित करने का अधिकार होता था। लेकिन अब खंड 164 (5) में यह व्यवस्था की गई हैं :—

> "उपधारा (1) के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो; तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाए"

मैं ब्यान देने वाले को शपथ दिलवाने की व्यवस्था का विरोध करता हूं क्योंकि यह मुकदमा नहीं है। मुकदमे में शपथ लेनी ही पड़ती है और उसके बाद ब्यान देना होता है। लेकिन जांच के समय ब्यान देने वाले को शपथ दिलवाना ज्यादती होगी। अतः मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ

दिलवाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाए' शब्दों का लोप कर दिया जाए। अन्यथा पुलिस अधिकारी इस व्यवस्था का दुरुपयोग करेंगे और झूठी गवाहियां शपथ दिलवाकर ले लेंगे। मंत्री महोदय इस पर विचार करें और मेरा संशोधन स्वीकार करें।

श्री आर० वी० बड़े : मैं श्री दिनेश जोरदर के संशोधन का समर्थन करता हूं। खंड 164 गवाह के सिर पर लटकती हुई तलवार के समान है।

Shri R.R. Sharma : If oath is to be administered in the case of witness, he should be given opportunity for cross examination. I think this point was referred to Law Commission and it has recommended that if oath is to be administered in the case of witness, accused should be given opportunity for cross examination.

Under clause 164 all classes of Magistrates have power to record the statement. In my view this power should be restricted to first class Magistrate.

श्री रामनिवास मिर्धा : संस्वीकृति दर्ज करने और ब्यान दर्ज करने में काफी अन्तर है।

जहां तक जिरह करने का संबन्ध है, इसका यहां प्रश्न नहीं उठता। उस स्थिति में कोई दोषी नहीं होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के सामने शपथ खाने के बाद ब्यान देना चाहता है तो उसे ऐसा करने से रोका क्यों जाए? यह उसका आखिरी ब्यान नहीं होगा। ब्यान के बाद उसकी जिरह की जाएगी। मुकदमे के समय में भी इस ब्यान का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि उससे एक और ब्यान देना पड़ता है और उसे अपने आप को बचाने का अधिकार प्रदान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान देना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उसे शपथ दिलवाकर ब्यान क्यों नहीं ले सकता ?

श्री दिनेश जोरदर : उस मामले में झूठी गवाही का अपराध सामने आएगा। यदि गवाह जांच के दौरान ली गई शपथ के उपरान्त कही गई बात का मुकदमे की सुनवाई के दौरान खंडन करता है और सच्ची बात कहना चाहता है तो इसका अर्थ यह होगा कि उसने झूठी शपथ खाई थी। आत्म-रक्षा के लिए यही हथियार है।

श्री रामनिवास मिर्धा : सफाई पक्ष की रक्षा करने वाले के लिए यह उचित हथियार है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 157 सभा में मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No 157 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 164, 165 तथा 166 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 164, 165 और 166 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 164, 166 and 166 were added to the Bill.

खंड 167

श्री शम्भूनाथ : मैं अपना संशोधन संख्या 123 और 124 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 184 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं अपना संशोधन संख्या 202 और 203 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामरतन शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 266 और 267 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी पूर्वसूचना दी जानी चाहिए थी। फिर भी विशेष तौर पर मैं श्री बी० आर० शुक्ल को संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 57 तथा 58 पर

क्रमशः पंक्ति 46 से 51 तथा 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

"(a) The Magistrate may authorise detention of the accused person, otherwise then in the custody of the police, beyond the period of fifteen days if he is satisfied that adequate grounds exist for so doing; but no Magistrate shall authorise the detention of the accused person in custody under this section for a total period exceeding sixty days, (hereinafter referred to as the said period) when non of the offences under investigation is punishable with imprisonment for more than three years unless, for reasons to be recorded by him in writing, he is satisfied that such datention for a period exceeding the said period is necessary in the interests of justice, and where the Magistrate does not authorise the detention of the accused person in custody for a total period exceeding the said period, he shall, if the accused person is prepared to give bail, release him on bail whether the offence or any of the offences under investigation is bailable or not."

["(क) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो वह अभियुक्त के निरोध की अवधि को, पुलिस की अभिरक्षा के अतिरिक्त, 15 दिन की कालावधि के आगे भी प्राधिकृत कर सकता है; किन्तु कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन कुल मिलाकर 60 दिन (इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' के रूप में उल्लिखित) से अधिक की कालावधि के लिए अभियुक्त का अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा, जबकि अन्वेषणाधीन कोई भी अपराध 3 वर्ष के कारावास से अधिक के लिये दंडनीय न हो, जब तक कि उसका ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किये जायेंगे, यह समाधान नहीं हो जाता कि उक्त अवधि से अधिक की कालावधि के लिए अभियुक्त का अभिरक्षा में निरोध न्याय के हित में है, और जहां मजिस्ट्रेट उक्त अवधि से अधिक की कुल कालावधि के लिए अभियुक्त का अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करता है, वहां यदि अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ देना, चाहे अन्वेषणाधीन अपराध अथवा कोई भी अपराध जमानतीय हो या नहीं।"] (संख्या 280)

श्री दिनेश जोरदर : सभी दलों के सदस्यों ने अनिश्चित काल के लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी पर चिन्ता व्यक्त की है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में ऐसे कई मामले हैं जो वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं। पुलिस ने अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां की हैं।

बहुत से अभियुक्तों को जेलों में वर्षों बिना मुकदमा चलाये रखा जा रहा है। श्री मिर्धा ने अपने भाषण में विधेयक के विभिन्न खंडों में भारी परिवर्तन करने का संकेत दिया था। खंड 167(2) में दण्डाधिकारी को किसी भी अभियुक्त की जिस भी अवधि तक वह चाहे हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया है। श्री शुक्ल द्वारा प्रस्तावित सुधार अपर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपने 75 प्रतिशत मामलों में दंड में वृद्धि कर दी है।

इस मामले में दंडाधिकारी को किसी भी व्याक्ति, को 60 दिन से अधिक हिरासत में रखने की हानि, से अभियुक्तों को लाभ नहीं होगा। दंडाधिकारियों के पास इतना साहस नहीं होता कि वे पुलिस की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करें। आप पुलिस पर आग्रह क्यों नहीं करते की कि निर्दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच शीघ्र पूरी करें। यदि पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करते तो उन्हें दंड दिया जाना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि 60 दिन से अधिक अभियुक्त को हिरासत में न रखा जाये। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

Shri Madhu Limaye : The present provisions under the rules are very inhuman. The Magistrate can detain any accused even beyond 90 days. During the British period the period was 15 days.

So I feel that there is scope for improvement and I wish hon. Minister may look into it.

Shri R.R. Sharma : Clause 167 provides for two types of custodies ; one is judicial and the other is police. In the entire criminal law innocence of the accused is presumed. It is not known how are they thinking vice-versa.

Prior to 1947 the country was against the police officials. But today we are giving more powers to the police. In my amendment I have proposed that period of 15 days at page 57 line 41 may be reduced to 7 days. Whether there is any truth in investigation can be known within 24 hours.

Secondly, I have suggested that the following provision agaisnt clauses 45 to 51 at page 57 and 1 to 10 at page 58 may be deleted. "The magistrate may extend the term beyond a period of fifteen days."

These provisions are useless. The Government want to introduce third grade methods. They want that the accused may admitt the crime committed or not committed by him.

श्री सोमनाथ चटर्जी : पिछले अनुभव से हमें पता चलता है कि जब जब भी पुलिस ने जांच के लिये अधिक समय मांगा है तब तब ही मजिस्ट्रेट ने हिरासत का समय बढ़ाया है।

पश्चिम बंगाल में एक विधान सभा के सदस्य को 3½ वर्ष से हिरासत में रखा हुआ है। उनके विरुद्ध आरोप-पत्र उन्हें हिरासत में लेने के दो वर्ष पश्चात् दिया गया। यदि संबन्धित अधिकारी 60 दिन में जांच कार्य पूरा नहीं कर पाते तो अभियुक्तों की जमानतों का मामला उठेगा।

इसलिये मैं [इस संशोधन का, इसको लाने के उद्देश्य को ही आबद्ध करने वाले भाग को छोड़कर समर्थन करता हूं।

Shri Bhogender Jha : It is corrrect that time set for detention was 15 days during British regime. But under discretion the Magistrates used to detain the accused for 2-2½ years. If the police officers are honest truth can be revealed. But even if the judges are honest, the truth cannot be revealed. The judges have to depend on evidence.

So far as the clause unless is there, there is no use fixing the detention time limit for 15 or even 7 days. But even removal of that clause will not help. The cases will have o referred to verification which take 3 months. I request the government to remove 'unless' clause.

Shri R.V.Bade : The time limit of 90 or 60 days for judicial custody is too much. There is no difference between hell and police custody. I sugeest that this time limit may be reduced.

Shri Shambhu Nath : My amendment No. 124 is "no magistrate shall authorise detention in custody under this section unless the accused is produced before him."

There are cases where the accused are not produced before the magistrate but on the other hand their signatures are produced before him. It should be necessary to produce the accused before the magistrate.

Shri Shivnath Singh : Clause 167 provides that if investigations are not completed in 60 or 90 days the accused can be bailed out. This period should be reduced to 15 days.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम 6 बजे तक विधेयक को पारित करना चाहते हैं तो सदस्यों को सहयोग देना चाहिए ।

Shri Shivnath Singh : The cases for which the sentence provided is less than three years it has been provided that the accused is not detened for more than 60 days. I suggest that the period of detention should not be more than 15 days.

श्री रामनिवास मिर्धा : इस खंड का संबंध उस प्रक्रिया से है जब जांच 24 घंटों में पूरी नहीं की जाती। यह 90 दिन की अवधि पुलिस की हिरासत की नहीं है अपितु कुल एरासत की है ।

इस संशोधन का आक्षेप यह है कि विशेष कारणों के अलावा जिन्हें मजिस्ट्रेट को लिख कर स्पष्ट करना होगा किसी अभियुक्त को अधिक समय के लिये हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह व्यवस्था ऐसे अपराधों के लिये है जिनके लिये 3 वर्ष की सजा निर्धारित है । अन्य मामलों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : जिस संशोधन को स्वीकार करना मैंने मान लिया है उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : खंड 167 अपने वर्तमान रूप में जैसा कि राज्य सभा द्वारा पारित किया है मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर 90 दिन की सीमा रखी गई है । यह खंड उन अपराधों पर लागू नहीं होगा जिनमें 3 वर्ष से अधिक की सजा निर्धारित है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : हमने आगे एक और व्यवस्था की है जिसके अनुसार हिरासत की अवधि को अन्ततः सजा में कम कर दिया जायेगा ।

श्री दिनेश जोरदर : मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह अपनी व्यक्तिगत बुद्धि का उपयोग ले । अधिकारियों पर निर्भर न करें । स्थिति और भी बिगड़ गई है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में सभापीठ क्या कर सकती है ।

श्री मधु लिमये : आप मंत्री महोदय पर उत्तर देने के लिये जोर डाल सकते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : वह इसकी समय सीमा बढ़ा दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : विरोधी पक्ष और मंत्री महोदय के साथ पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है ।

श्री शिवनाथ सिंह : मूल खण्ड में 90 दिन की अवधि रखी गई थी। इस संशोधन द्वारा अवधि 60 दिन की कर दी गई है । अन्य अपराधों के लिये भी कोई समय सीमा होनी चाहिये ।

श्री भोगेन्द्र झा : यह विधेयक पुनः खटाई में पड़ सकता है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : या तो हम इस संशोधन को स्वीकार करते हैं अथवा यह मूल रूप में ही रहेंगी । मैं श्री शुक्ल के संशोधनों को स्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 124 और 280 मतदान के लिये रखता हूं ।

Shri Madhu Limaye : Please combine the wordings of amendment nos 76 and 75.

श्री शिवनाथ सिंह : इसे रोक दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा के एक मत्य के अनुसार कार्य करूंगा ।

श्री रामनिवास मिर्धा : इस छोटे से संशोधन के कारण हम इसे रोकने को तैयार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंत्री महोदय श्री शंभुनाथ के संशोधन में कुछ संशोधन करने को तैयार है । मेरी राय में नेता लोग मंत्री महोदय से मिल कर इस मामले को तय कर लें ।

श्री सी०एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैंने सोचा कि श्री शुक्ल का संशोधन मूल विधेयक में एक सुधार है । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । अतएव इस बारे में शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए ।

श्री रामनिवास मिर्धा : इन दो संशोधनों को परस्पर विचार करने के पश्चात् स्वीकार किया गया था । इसमें छोटा सा स्पष्टीकरण भी स्वीकार किया गया है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 58,–

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"EXPLANATION.—If any question arises whether an accused person was produced before the Magistrate as required under paragraph (b), the production of the accused person may be proved by his signature on the order authorising detention.

["**स्पष्टीकरण**—यदि यह प्रश्न उठे कि क्या अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जसा कि पैरा (ख) में अपेक्षित है, तो अभियुक्त की पेशी, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से सिद्ध की जाए ।"] (संख्या 281)

उपाध्यक्ष महोदय : अब दो संशोधन प्राप्त हो चुके हैं । एक मंत्री महोदय का और दूसरा श्री शुक्ल का जिसे मंत्री महोदय ने स्वीकार करना मान लिया था । इन्हें मैं पृथक पृथक मतदान के लिये रखूंगा ।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह संशोधन परस्पर परामर्श द्वारा लाया गया है। ऐसी बात न तो संयुक्त समिति ने और न राज्य सभा ने सोची थी। इन्हें चोरी से लाया जा रहा है। उन्हें 'Unless (जब तक)' शब्द हटा देना चाहिये। उन्हें इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 280 मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है कि :—

पृष्ट 57 तथा 58 पर क्रमश: पंक्ति 46 से 51 तथा 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(a) The Magistrate may authorise detention of the accused person, otherwise than in the custody of the police, beyond the period of fifteen days if he is satisfied that adequate grounds exist for so doing; but no Magistrate shall authorise the detention of the accused person in custody under this section for a total period exceeding sixty days, (hereinafter referred to as the said period) when none of the offences under investigation is punishable with imprisonment for more than three years, unless, for reasons to be recorded by him in writing, he is satisfied that such detention for a period exceeding the said period is necessory in the interests of justice, and where the Magistrate does not authorise the detention of the accused person in custody for a total period exceeding the said period, he shall, if the accused person is prepared to give bail, release him on bail whether the offence or any of the offences under investigation is bailable or not."

["(क) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त आधार है तो वह अभियुक्त के निरोध की अवधि को पुलिस को, अभिरक्षा के अतिरिक्त, 15 दिन की कालावधि के आगे भी प्राधिकृत कर सकता है; किन्तु कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन कुल मिलाकर 60 दिन (इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' के रूप में उल्लिखित) से अधिक की कालावधि के लिये अभियुक्त का अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा, जबकि अन्वेषणाधीन कोई भी अपराध 3 वर्ष के कारावास से अधिक के लिये दंडनीय न हो, जब तक कि उसका ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किये जाएंगे, यह समाधान नहीं हो जाता कि उक्त अवधि से अधिक की कालावधि के लिये अभियुक्त का अभिरक्षा में निरोध न्याय के हित में है, और जहां मजिस्ट्रेट उक्त अवधि से अधिक की कुल कालावधि के लिये अभियुक्त का अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करता है, वहां यदि अभियुक्त जमानत देने के लिये तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ देगा, चाहे अन्वेषणाधीन अपराध अथवा कोई भी अपराध जमानतीय हो या नहीं "] (संख्या 280)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 91	विपक्ष में 2
Ayes 91	Noes 2

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ 58 पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाए :—

"EXPLANATION:—If any question arises whether an accused person was produced before the Magistrate as required under paragraph (b), the production of the accused person may be proved by his signature on the order authorising detention."

["स्पष्टीकरण—यदि यह प्रश्न उठे कि क्या अभियुक्त को मिजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जैसा कि पैरा (ख) में अपेक्षित है, तो अभियुक्त की पेशी, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से सिद्ध की जाए]।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negativ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 167, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 167, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 167 as amended, was added to the Bill.

खंड 168 से 171 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 168 to 171 were added to the Bill.

खंड 172

श्री राम रतन शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 268 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 268 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 268 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 172 विधेयक का अंग बने'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted:

खंड 172 विधेयक में जोड़ दिया गया

The clause 172 was added to the Bill.

खंड 173

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 158, 159 और 160 प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम रतन शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 269 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर : इस खण्ड का सम्बन्ध पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट तथा जांच के पूरे किये जाने के सम्बन्ध में है। पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट अथवा आरोप पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। अभियक्त को इन दस्तावेज की प्राति प्राप्त करने का अधिकार है। इस खण्ड की उप-खण्ड 6 के अनुसार पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट के किसी भी अंश को, जिसे वह समझता है अभियुक्त को बताना आवश्यक नहीं रोक सकता है। यह व्यवस्था अत्यन्त घातक है क्योंकि अभियुक्त को कागजात को देखने से भी वंचित रखा गया है। इस लिये मैं चाहता हूं कि उप-धारा (6) को हटा दिया जाए।

Shri R. R. Sharma: The police responsibility in respect of the accused person is ceased after submission of a charge sheet in the court.

Uptill now the copies of all the documents used to be supplied to the accused free of cost. It was the responsibility of the court to see that trial is not completed untill these copies are provided to the accused person. So I request that my amendment may please be accepted.

श्री सोमनाथ चटर्जी : उप-खण्ड (5) के अनुसार पुलिस अधिकारी के लिये आवश्यक है कि वह सभी कागजात मजिस्ट्रेट के पास भेजे।

उप-खण्ड (6) के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी को इस मामले में पूरे प्राधिकार दिये गए हैं।

उप-खण्ड (7) में कहा गया है कि जांच करने वाला अधिकारी यदि संभव हो तो अभियुक्त को सभी अथवा कुछ कागज़ात की प्रतियां दे। इस बारे में सभी शक्तियां पुलिस अधिकारी को दी गई हैं।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस संम्बन्ध में संशोधन स्वीकार करें। इससे खंड की योजना पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नोज) : उप-खंड (5) के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी को जब कोई मामला सौंपा जाता है तो उसे यह निर्णय करना चाहिए कि अमुक दस्तावेजों उपलब्ध कराये जायें या नहीं। मेरे विचार से उप-खण्ड (5) के बाद मैजिस्ट्रेट को शक्तियां दी गई हैं। पुलिस के पास कोई शक्ति नहीं होनी चाहिये। अतः उप-खण्ड (6) तथा (7) दोनों को ही हटाया जाना चाहिये।

श्री आर० वी० वड़े : मेरा निवेदन है कि पुलिस की डायरी और साक्षी की प्रतियां अभियुक्त को दी जानी चाहिएं। अभियुक्त को न्याय प्रदान करने के लिये पुलिस की डायरी में जो सभी बयान होते हैं, उन्हें अभियुक्त को निःशुल्क दिया जाना चाहिऐ। उप खंण्ड (6) तथा (7) परस्पर विरोधी हैं। मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें।

श्री रामनिवास मिर्धा : माननीय सदस्यों की आशंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। खंड 173 ऐसी अवस्था है जब पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र दायर करती है। पहले पुलिस साक्षियों को प्रतियां दिया करती थीं परन्तु इसमें काफी कठिनाई थी। विधि आयोग ने इसकी जांच की और कहा कि प्रतियां सुपाठ्य नहीं होती हैं और जब न्यायालय में आये तो उसे चाहिये कि पुलिस के विवरण को अभियुक्त को दे दे। अतः उस सिफारिश के अनुसार यह निर्णय किया गया था।

जहां तक निकालने की बात है, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसे खंड 207 के साथ पढ़े जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट ही यह निर्णय करेगा कि पुलिस द्वारा उठाई गई आपत्तियां सही हैं अथवा नहीं। वास्तव में संहिता में मैजिस्ट्रेट को ऐसा कार्य विवेक नहीं दिया गया है। पुलिस अधिकारी की जैसी मर्जी होती थी वैसी ही देता था या रोक सकता था। क्या दस्तावेज दिये

जायेगे इस बारे में हमने इस पुलिस अधिकारियों के विवेक पर ही नहीं छोड़ा है । हमने खंड 207 रखा है जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट जांच करके कहेगा कि अभियुक्त को दी जानी चाहिये या नहीं । इसमें माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी बातों पर ध्यान रखा गया है ।

श्री दिनेश जोरदर : 'पुलिस अधिकारी' शब्द को वहां से लोप कर दिया जाये ।

श्री बी० वी० नायक : उनका खंड 207 में लोप किया गया ।

Shri R. R. Sharma: I want a clarification. Clause 207 comes under commencement of proceedings before Magistrate. This committee proceedings should be abolished.

श्री राम निवास मिर्धा : खंड 207 स्पष्ट ।

श्री के० नारायण राव : खंड 173 में 'पुलिस रिपोर्ट' की परिभाषा दी गई है.....

श्री राम निवास मिर्धा : मजिस्ट्रेट को न केवल पुलिस रिपोर्ट ही अपितु खंड 207 में उल्लिखित अन्य चीज भी देनी पड़ेगी । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायण राव आप मंत्री महोदय के बोलने से पहले कभी भी नहीं बोले । आपको पहले बोलना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 173 और 174 से 195 तक विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 173 और 174 से 195 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 173, 174 to 195 were added to the Bill.

खंड 196

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 196 लेते हैं । श्री मिर्धा का एक संशोधन है । क्या आप प्रस्तुत कर रहें हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 67 में वर्तमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखें :—

"Prosecution for offences against the State and for criminal conspiracy"

(राज्य के विरुद्ध अपराधों और आपराधिक षड़यन्त्र के लिये अभियोजन) (संख्या 37)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 196 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 196, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 196, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 197

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड के लिये संशोधन हैं। क्या आप प्रस्तुत कर रहें हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 68, पंक्ति 6—

'shall' ['शैल'] के स्थान पर 'shall take' ["शैल टेक"] रख दिया जाये। (संख्या 38)।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 139, 241, 242 और 243 प्रस्तुत करता हूं।

मैं इस खंड पर भी कुछ बोलना चाहता हूं जो उसी खंड से मिलता-जुलता है जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सरकारी अधिकारियों को उनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किये जाने पर, संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। विशेषकर उस समय जब कि जनता के लोकतांत्रीय अधिकार शामिल हों।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।** **Shri K. N. Tiwary *in the Chair***]

उच्च पदों वाले अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा सरकारी काम करते समय किये गए किसी अपराध के विरुद्ध सामान्य जनता मुकद्दमा नहीं चला सकती। कभी-कभी पुलिस अधिकारी बदले की भावना से शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। वे तरह-तरह से शक्तियों का, जांच के नाम पर दुरुपयोग करतें हैं। उन्हें अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिये। मैंने कुछ संशोधन दिये हैं और मंत्री महोदय से उन्हें स्वीकार करने के लिये अनुरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : खंड 197 में दो मूल बातें विचार करने लायक हैं। इसमें भेदभाव रखा गया है। हम ऐसे कानून को क्यों बनाये रखे हुए हैं जिससे शक्ति का दुरुपयोग किया जा सके। दूसरी बात यह है कि कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं दिये गये हैं। यह नहीं कहा गया है कि मंजूरी किस आधार पर दी जायेगी और किस आधार पर नहीं दी जायेगी। इसे पूर्णतया केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा गया है।

इसका अधिकारियों को संरक्षण देने के प्रयोजन से प्रयोग किया गया है ।

पचहत्तर वर्ष बाद इस कानून में संशोधन किया जा रहा है । फिर भी कमियों को वैसे ही बनाये रखा गया है ।

Shri Madhu Limaye: I want to know from the hon. Minister as to what action they are going to take against the police officers or Magistrates who order illegal detention of any person. The Clause 197 will act as impediment in Criminal cases. What punishment they are going to award to an officer or a magistrate whose judgment has been struck down by the High Court or Supreme Court ?

श्री राम निवास मिर्धा : उच्च अधिकारियों को इस खंड के अन्तर्गत उपलब्ध यह संरक्षण आवश्यक है ताकि वे निर्भीक होकर अपना सरकारी कार्य कर सके ।

एक ऐसी धारा है जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा तर्क संगत और संवैधानिक बताया गया है । यदि अन्य प्रकार से अनुचित बल प्रयोग होता है तो उन्हें प्रशासनिक रूप से दंड दिया जा सकता है । यह पुरानी धारा है और काफी लम्बे समय से न्यायपालिका के अनुकूल रही है । इसे बदला नहीं जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं खंड 197 पर श्री राम निवास मिर्धा के संशोधन को सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 68, पंक्ति 6—

"Shall" ['शैल'] के स्थान पर "Shall take" ['शैल टेक'] रख दिया जाय (संख्या 38)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 139 सभा में मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 18 **विपक्ष में :** 86

Ayes : 18 Noes : 86

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 241 से 243 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 241 to 243 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 197, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 197 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 197, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 198 से 201 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 198-201 were added to the Bill

खण्ड— 202

श्री राम निवास मिर्धा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 71, पंक्ति 7—

"offence" ['अपराध'] के स्थान पर offence of ['अपराध का'] रख दिया जाये। (संख्या 39)

श्री दिनेश जोरदर: मैं अपना संशोधन संख्या 161 प्रस्तुत करता हूं।

कभी-कभी मजिस्ट्रेट के पास जो परिवाद होता है उसकी सत्यता का निर्णय करने के लिये प्रक्रिया के मामले को स्थगित कर देता है। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि मजिस्ट्रेट को परिवाद की सत्यता या असत्यता का पता लगाने के प्रयोजन के लिये विवेक सम्बन्धी शक्ति होगी। यह सीधा-सादा संशोधन है।

श्री राम निवास मिर्धा: पुरानी संहिता में यह लिखा हुआ था। विधि आयोग ने इसकी जांच करके कहा कि इसकी वाक्य-रचना को बदला जाना चाहिए। हमने उसकी सिफारिश को रखा है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 71, पंक्ति 7—

"offence"['अपराध'] के स्थान पर "offence of" ['अपराध का'] रख दिया जाये। संख्या 39)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 161 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 161 was put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 202, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

खण्ड 202 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 202, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 203 से 206 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 203 to 206 were added to the Bill.

खंड 207

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 162 और 163 प्रस्तुत करता हूं ।

यह धारा 173 से मिलता-जुलता है । श्री मिर्धा ने कहा है कि खंड 173 की अस्पष्टता को खंड 207 में स्पष्ट कर दिया गया है । यद्यपि श्री मिर्धा ने कहा है कि पुलिस अधिकारी के प्रतिवेदन की मजिस्ट्रेट अच्छी तरह जांच करेगा कि क्या किसी कागज को रोकने की आवश्यकता है या नहीं तथापि मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई उपबंध बिलकुल नहीं होना चाहियें कि किसी दस्तावेज को रोका जाये चाहे वह कितना ही गोपनीय क्यों न हो ।

श्री राम निवास मिर्धा : जब हमने खंड 173 पर चर्चा की थी तब से मैंने मामले से संबंद्ध कुछ बातें बताई थीं। मजिस्ट्रेट को इस प्रकार का विवेक देना आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि वह इसका उचित रूप से प्रयोग करेगा। यदि पुलिस किसी दस्वेताज को रोकना चाहेगी तो वह उसे भेजेगी नहीं अतः संगत दस्तावेज को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं है परन्तु कुछ चीज गोपनीय हो सकती है। वैसे मामलों में मजिस्ट्रेट महसूस कर सकता है कि उसे अभियुक्त के सामने न रखा जाये। गबन जैसे मामले में भारी दस्तावेजों का जहां तक संबंध है, उनमें कई लेखा-पुस्तकें शामिल होती हैं और उनमें संगत दस्तावेज लगभग आधी पुस्तक जितने होते हैं। अतः यह पुरन्तुक आवश्यक है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 162 और 163 सभा में मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendement No. 162 and 163 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 207 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 207 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 207 was added to the Bill.

खंड 208

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 73—

पार्श्व शीर्ष में

"Complaint case" ['परिवाद के मामले'] शब्दों के स्थान पर "Other cases" ['अन्य मामलों'] शब्द रखे जाये। (संख्या 40)

(श्री राम निवास मिर्धा)

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 164 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 164 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 164 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 208 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 208 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 208, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 209

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 221 और 222 प्रस्तुत करता हूं।

इसमें यह नहीं लिखा गया है कि किस समय के बीच मुकद्मे की कार्यवाही पूरी की जानी चाहिये और मुकद्मे को सत्र न्यायालय में भेजा जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस पर 60 दिनों की समय-सीमा लगाई जानी चाहिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुकद्मे के विचाराधिकार किये जाने के 60 दिन के अन्दर सुपर्दगी कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए और मुकद्मा सत्र न्यायालय में भेजा जाना चाहिए ताकि अभि-युक्त को अनिश्चित काल तक के लिये परेशान न किया जा सके ।

यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कथित अभियुक्त को 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए नजरबंद नहीं रखा जायेगा । किन्तु खंड 209 (ख) के उपबन्धों के अनुसार उसे उस अवधि तक भी नजरबंद रखा जा सकता है जब तक कि उस पर चल रहा मुकद्मा खतम नहीं हो जाता। सत्र न्यायालय के कमिटमैंट प्रोसिडिंग्स भेजने की अवधि 60 दिन निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

Shri R. R. Sharma : This is a very good provision in which commitment proceedings have been removed. Moreover, I suggest that "commit the case to the Session court" should be clearly stated in the provisions to avoid difficulties.

श्री राम निवास मिर्धा : श्री जोरदर ने जिस गलत फहमी के आधार पर यह संशोधन दिया था वह श्री रामरतन शर्मा ने दूर कर दी है। इस समय 'कमीटल प्रोसीडिंग्स' की व्यवस्था नहीं रखी गई है। अतः यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 221 और 222 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 221 and 222 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 209 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 209 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 209 was added to the Bill.

खण्ड--210

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 74

वर्तमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।]

"Procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offence."

"(परिवाद मामले में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण")। [संशोधन संख्या 41]

(श्री राम निवास मिर्धा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 210, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 210, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 210, as amended, was added to the Bill.

खण्ड--211

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 259 प्रस्तुत करता हूं।

I request the Minister to accept this amendment. In it I suggested that the charge must be written in the 'regional language or in Hindi or in the language which the accused understands.' It will facilitate the accused to understand clearly the charges levelled against him.

श्री राम निवास मिर्धा : चूंकि 'न्यायालय की भाषा' ही इस मामले में चलेगी इसलिए श्री मधु लिमये का यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 259 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 259 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 211 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 211 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 211 was added to the Bill.

खण्ड 212 से 219 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 212 to 219 were added to the Bill.

खण्ड--220

संशोधन किये गये

पृष्ठ 79, पंक्ति 13,—

Omit "Illustrations to sub-clause (4)".

[उपधारा (4) के दृष्टांत का लोप कर दिया जाये] (संशोधन संख्या 42)

पृष्ठ 79,—

पंक्ति 17 के पश्चात्

"Illustrations to sub-clause (4)"

[उपधारा (4) के दृष्टांत] अन्तःस्थापित किये जायें। (संशोधन संख्या 43)

[श्री राम निवास मिर्धा]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 220 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 220, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 220, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 221 से 227 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 221 to 227 were added to the Bill.

खंड--228

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 81 पंक्ति 34,--

"he may" (तो वह) के पश्चात् "frame a charge against the accused and," (अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और,) अन्तः स्थापित किया जाये।

(संशोधन संख्या 44)

पृष्ठ 81, पंक्ति 43,—

"offence" (अपराध) के स्थान पर "offence charged" (आरोपित अपराध) प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संशोधन संख्या 45)

[श्री राम निवास मिर्धा]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 228, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 228, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 228, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 229

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 81, पार्श्व शीर्ष में "plea for guilty" (दोषी होने का अभिभाक्) के स्थान पर "conviction on plea of guilty" (दोषी होने का अभिवचन करने पर दोष सिद्धि) रखा जाये ।

(संशोधन संख्या 46)

[श्री राम निवास मिर्धा]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 229, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 229, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 229, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 230 से 234 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 230 to 234 were added to the Bill.

खंड 235

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 82, पार्श्व शीर्ष में, "Judgements" (निर्णयों) के स्थान पर "Judgement of acquittal or conviction" (दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय) रखा जाये ।

(संशोधन संख्या 47)

[श्री राम निवास मिर्धा]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 235, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 235, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 235, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 236 से 245 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 236 to 245 were added to the Bill.

खंड 246

सभापति महोदय : श्री गोस्वामी का एक संशोधन है। किन्तु वह यहां नहीं है। अतः प्रश्न यह है :

"कि खंड 246 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 246 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 246 was added to the Bill.

खण्ड 247 से 253 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 247 to 253 were added to the Bill.

खण्ड 254

श्री राम रतन शर्मा : मैं संशोधन संख्या 270 प्रस्तुत करता हूं।

Sir, the provision for legal aid to the poor has been made with the hope that poor people will also get justice. I furtherance to this cause I suggested that the reasonable expenses of the witness incurred in attending the court for the purpose of the trial may be deposited by the State Government instead of the accused.

श्री माधुर्य्य हालदर (मथुरापुर) : श्रीमान्, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जाये।.....अब सभा में गणपूर्ति है।

श्री राम निवास मिर्धा : यदि यह संशोधन मान लिया गया, तो इससे राज्य सरकारों का खर्च बहुत अधिक बढ़ जायेगा। यदि राज्य सरकार इसके लिए सहमत हों तो वह ऐसा कर सकती हैं। हम यह संशोधन नहीं मान सकते।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 270 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 270 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 254 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 254 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 254 was added to the Bill.

खण्ड 255 से 259 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 255 to 259 were added to the Bill.

खण्ड 260

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 244 और 245 प्रस्तुत करता हूं।

सिद्धांततः तो संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जाना (समरी ट्रायल) ही गलत है। चूंकि इसमें अभियुक्त को न तो आरोप पत्र दिया जाता और न गवाहों की जांच की जाती। इस प्रकार अभियुक्त को अपने बचाव के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया जाता। सभी वरिष्ठ वकील और अधिवक्ता इस सिद्धांत के विरुद्ध हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में बने 'समरी ट्रायल' का उपबन्ध ही नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने संशोधनों में यह सुझाव दिया है कि यदि अभियुक्त को समरी ट्रायल पर आपत्ति है तो समरी ट्रायल नहीं की जानी चाहिए।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, I support the amendment moved by Shri Jordar. In summary trials truth will not come out and poor people will be victim of this provision in large number of cases. However, the profiteers and hoarders can be summarily tried. So, I request the Minister to accept this amendment.

Shri R. R. Sharma : Justice should be available to all and all are equal in the eyes of law. This principle is not compatible with the principle of summary trial from this point of view the amendment of Sh. Jordar should be accepted and the provision of summary Trial should be omitted.

श्री राम निवास मिर्धा : यह उपबन्ध प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह शक्ति केवल कुछ मजिस्ट्रेटों को सीमित रूप से दी गई है। वस्तुतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि समाज विरोधी और ऐसे ही अन्य अपराधियों के लिए 'समरी ट्रायल' की व्यवस्था होनी चाहिये। अतः इसे यथावत् रखना उचित है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 244 और 245 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 244 and 245 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 260 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 260 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 260 was added to the Bill.

खण्ड 261

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 90, वर्तमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"Summary trial by magistrate of the second class"

(द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण) (सशोधन संख्या 48) (श्री राम निवास मिर्धा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 261, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 261, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 261, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 262

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 90, पार्श्व शीर्ष में से "for summons and warrant cases applicable" (समनों और वारन्ट के मामलों में लागू) निकाल दीजिये । (संशोधन संख्या 49) (श्री राम निवास मिर्धा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 262, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 262, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 262, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 263 से 266 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 263 to 266 were added to the Bill.

नया खण्ड 266 क

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 140 प्रस्तुत करता हूं ।

वर्तमान संहिता की धारा 491 म यह उपबन्ध है कि उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे अभियुक्त को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जाने या उसे मुक्त करने के लिये राज्य सरकार या छोटे न्यायालयों को आदेश दे सकता है, जो अवैध रूप से अनुचित रूप से बंदी बनाया गया है । इसमें उच्च

न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदि आदेश देने का अधिकार भी प्राप्त है। किन्तु नयी संहिता में यह उपबंध बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। मैंने पुरानी संहिता की धारा 491 को ही सुधरे रूप में 466क के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें ताकि उच्च न्यायालय का अधिकार पूर्ववत बना रहे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का अधिकार है। किन्तु विद्यमान संवैधानिक उपबंधों से बंदी के सामने कुछ कठिनाइयां आती हैं। जबकि विद्यमान संहिता की धारा 491 के अन्तर्गत वैसी दिक्कतें नहीं आती। अनुच्छेद 32 और 226 के अन्तर्गत स्वंय बंदी ही प्रार्थना कर सकता है जबकि विद्यमान संहिता की धारा 491 के अन्तर्गत अभियुक्त बंदी का कोई भी संबंधी या मित्र उसको ओर से प्रार्थना कर सकता है। इस दृष्टि से यह उपबन्ध का नयी संहिता में भी अवश्य होना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: Sir, I fully support this amendment. I want to go a step further and suggest that power to issue writs should be given to even District Magistrates under this law.

श्री रामनिवास मिर्धा : इस पर विधि आयोग ने विचार किया था और उसने यह सिफारिश की थी चूंकि संविधान में यह व्यवस्था है इसलिए वैसी ही व्यवस्था नई संहिता में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी सिफारिश के आधार पर पुरानी संहिता की धारा 491 को नयी संहिता में नहीं रखा गया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 140 सभा में मतदान के लिए रखा गया।

सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 13	विपक्ष में 77
Ayes 13	Noes 77

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

खण्ड 266-क विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 266-A was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 267 से 274 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 267 से 274 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 267 to 274 were added to the Bill.

खण्ड 275

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 93, पंक्ति 8

"himself" (न्यायाधीश द्वारा) के प्रश्चात् "or by his dictation in open court" (या उसके द्वारा खुले न्यायालय में स्वंय बोलकर लिखित रूप में तैयार किया जायेगा) । अंत:स्थापित किया जाये । (संशोधन संख्या 125) (श्री शम्भू नाथ) ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 275 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 275, संशोधन रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 275, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 276

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 93. पंक्ति 22,

"himself" (मजिस्ट्रेट द्वारा) के पश्चात् "or by his dictation in open court" (या उसके द्वारा खुले न्यायालय में स्वयं बोलकर लिखित रूप में तैयार किया जायेगा) अंत:स्थापित किया जाये । (संशोधन संख्या 126) (श्री शम्भू नाथ) ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 276, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 276, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 276, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 277 से 280 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 277 to 280 were added to the Bill.

खण्ड 281

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 94, पंक्ति 35,

"Magistrates" (स्वयं मजिस्ट्रेट के स्थान पर "presiding judge or Magistrate" (पीठासीन न्यायाधीश या स्वयं मजिस्ट्रेट) रखा जाये (संशोधन संख्या 50) (श्री राम निवास मिर्धा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 281 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 281, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 281, as amended, was added to the Bill

खण्ड 282 और 283 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 282 and 283 were added to the Bill

खण्ड 284

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 95, पंक्ति 20,

"Governor of a State" (राज्य के राज्यपाल) के पश्चात् "or the Administrator of a Union Territory" (या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक) अन्तःस्थापित किया जाये। (संशोधन सख्या 51) (श्री राम निवास मिर्धा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 284, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 284, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 284, as amended, was added to the Bill

खण्ड 285 से 293 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 285 to 293 were added to the Bill

खण्ड 294

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 98, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"No formal proof of certain documents" (कुछ दस्तावेजों का प्ररूपी प्रकार का सबूत)

(संशोधन संख्या 52) (श्री राम निवास मिर्धा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 294, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 294, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 294, as amended, was added to the Bill

खण्ड 295 और 296 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 295 and 296 were added to the Bill

खण्ड 297

श्री एस० एन० मिश्र : मैं सशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं। इसके मैंने सुझाव दिया है कि 'ओथ कमिशनर' की शक्तियां सीमित होनी चाहिये और कुछ शक्तियां 'नोटारी पब्लिक' को दी जानी चाहियें ।

श्री राम निवास मिर्धा : मेरे विचार से इन दोनों के पास ही शक्तियां होनी चाहिये । इस संशोधन के मानने से कठिनाइयां और अधिक बढ़ेगी ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया और अवस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 8 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 297 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 297 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 297 was added to the Bill

खण्ड 298 और 299 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 298 and 299 were added to the Bill

खंड 300

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 100, पंक्ति 25,

"the" (मामला) के स्थान पर "this" (यह मामला) रखा जाये । (संशोधन संख्या 53) (श्री राम निवास मिर्धा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह ह :

"कि खंड 300 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 300, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 300, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 301 और 302 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 301 and 302 were added to the Bill.

खण्ड 303

श्री दिनेश जोरदर : मैं संशोधन संख्या 234 प्रस्तुत करता हूं। इसमें मैंने यह सुझाव दिया है कि सभी आपराधिक मामलों में ऐसे अभियुक्तों को कानूनी सहायता दी जाये जिनके पास अपनी रक्षा के लिये कोई साधन नहीं हैं। वर्तमान खंड 303 में अपने बचाव के अधिकार की बात कही गई है। उसके अन्त में मैं यह जुड़वाना चाहता हूं कि जो अभियुक्त या उसका परिवार आयकर या कृषिकर नहीं देता है उसे सरकारी खर्च पर वकील की सेवा उपलब्ध होनी चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा: मैं श्री जोरदर के सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं, किन्तु कानूनी सहायता देने का क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ाना होगा। राज्य सरकारों को इस मामले में स्वविवेक इस्तेमाल करने की शक्ति प्राप्त है। यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वह ऐसा कब और किस प्रकार करें।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 234 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 234 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 303 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 303 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 303 was added to the Bill.

खण्ड 304

श्री दिनेश जोरदर : मैं संशोधन संख्या 235 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 260 प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम रतन शर्मा : मैं संशोधन संख्या 271 और 272 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Madhu Limaye: Sir, I am unable to understand as to why clause 303 was introduced, because this right is already provided in Article 22 of the Constitution. Similarly, I do not see any reason for deletion of section 491, as it is a Constitutional right. There are some apparent discrepancies. I do not like the idea of giving powers to the State Government to constitute a panel of pleaders, as provided in this clause. In my amendment I suggested that "the High Court may, in consultation with the State Government, propose a panel of pleaders for each District from among whom the accused may select a pleader for his defence under sub-section (1)". Thus only capable advocates will be included in the panel.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair]

Shri R. R. Sharma: In my amendment I suggested that "any courts" may be substituted for "the Court of Session". It will help in making justice available to poor people also.

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति पर राज्य सरकर द्वारा नियमों के अनुमोदन का अंकुश नहीं होना चाहिये। क्या यह उचित है कि एक अवर सचिव अथवा उप सचिव उच्च न्यायालय की सिफारिशों का निरनुमोदन कर दे। दूसरी बात यह है कि वकीलों का पेनल तैयार करने का कार्य उच्च न्यायालय के हाथ में ही होना चाहिये।

श्री राम निवास मिर्धा : यहां कुछ गलतफहमी है। विधेयक के उपबंधों में वकीलों की सूची तैयार करने की बात नहीं है, बल्कि उसमें वकीलों का चयन करने के तरीके का उल्लेख है। उपबंधों के अनुसार आशय यह नहीं है कि राज्य सरकार वकीलों की सूची तैयार करे। चूंकि इसमें काफी बड़े खर्च की बात आती है, इसलिए यह लिखा गया है कि राज्य सरकार को यह करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 235 सभा में, मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 235 was put and negatived

श्री मधु लिमये : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन संख्या 260 पर मत-विभाजन हो।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 260 सभा में मतदान के लिए रखा गया

सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 16	विपक्ष में 60
Ayes 16	Noes 60

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 271 और 272 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments No. 271 and 272 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 304 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 304 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 304 was added to the Bill.

खण्ड 305 से 313 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 305 to 313 were added to the Bill.

खण्ड 314

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

54. पृष्ठ 105, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Oral arguments and memorandum of arguments" (मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन (संशोधन संख्या 54) ।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 185 प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस खंड का उप-खंड (4) निकाल दिया जाये, जिसमें न्यायालय को बचाव पक्ष के वकील द्वारा किये जा रहे तर्कों को नियमित करने का अधिकार दिया गया है।

श्री राम निवास मिर्धा : यदि बचाव पक्ष के वकील द्वारा दिये गये तर्क असंगत और संक्षिप्त न हों, तो उन्हें नियमित करने का अधिकार न्यायालय को होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 105, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Oral arguments and memorandum of arguments" (मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन) ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 185 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 185 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 314, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 314, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 314, as amended, was added to the Bill.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): In 315 this right has been given that the accused can give on oath statement and at the same time there is provision that his statement can be used for defence. It should not be allowed. I want to know from the hon. Minister as to what safeguard has been laid down in this direction ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने न तो कोई संशोधन दिया है और न ही कोई ठोस विचार बताया है कि वह किस आधार पर संशोधन करना चाहते हैं । हम एकदम किसी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 315–319 विधेयक के अंग बन" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 315–319 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 315-319 were added to the Bill.

खण्ड 320 (अपराध का शमन)

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं अपने संशोधन संख्या 191 और 427 प्रस्तुत करता हूं ।

धारा 320 के अन्तर्गत न्यायालय की अनुज्ञा या बिना अनुज्ञा के समझौता किया जा सकता है, परन्तु एक भारी कमी है, और वह यह है कि जब किसी मुकद्दमें का व्यक्ति मर जाता है, उस संबंध में कोई उपबन्ध नहीं है । मेरा संशोधन यह है कि मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि को अपराध-शमन करने का हक होना चाहिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : मेरे पास भी एक संशोधन है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने तो ऐसा कोई संशोधन नहीं है । मुझे अभी-अभी दूसरी प्रति मिली है । मंत्री महोदय इसे प्रस्तुत कर सकते हैं । इसे 191क संख्या दी जाती है ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 110, पंक्ति 22 में "(4)" के स्थान पर "(4)(क)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

पृष्ठ 110, पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"(b) When the person who would otherwise be competent to compound an offence under this section is dead, the legal representative, as defined in the Code of Civil Procedure, 1908, of such person may, with the consent of the Court, compound such offence".

["(ख) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिये अन्यथा सक्षम होता, मर गया हो, तब ऐसे व्यक्ति का विधिसम्मत् प्रतिनिधि, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में परिभाषित है, ऐसे अपराध का शमन न्यायालय की अनुमति से कर सकेगा।"] (संख्या 191 ए)

श्री बी० आर० शुक्ल : इस संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपने संशोधन संख्या 191 को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 191 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 191 was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 110, पंक्ति 22 में "(4) के स्थान पर "(4)(क)" प्रतिस्थापत किया जावे

पृष्ठ 110, पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"(b) When the person who would otherwise be competent to compound an offence under this section is dead, the legal representative, as defined in the Code of Civil Procedure, 1908, of such person may, with the consent of the Court, compound such offence".

["(ख) जब वह व्यक्ति जो, इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, मर गया हो, तब ऐसे व्यक्ति का विधिसम्मत् प्रतिनिधि, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में परिभाषित है, ऐसे अपराध का शमन न्यायालय की अनुमति से कर सकेगा।"] (संख्या 191 ए)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 320, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 320 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 320, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 321

संशोधन किया गया :

पृष्ट 111, पक्तियां 16-18 में "Its permission" (अनुज्ञा) के स्थान पर दोनों स्थानों पर "Consent" (सम्मति) रखें। (संख्या 55)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 321, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 321 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 321, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 322 से 340 तक विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clauses 322 to 340 were added to the Bill.

खण्ड 341

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 165 और 166 प्रस्तुत करता हूं ।

इस खंड के द्वारा पुनरीक्षण का अधिकार छीन लिया गया है । इस धारा के उप-खंड (2) के अनुसार पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। अप्रत्यक्ष रूप से अपील करने का अधिकार भी छीन लिया गया है । मैं चाहता हूं कि इस खंड का लोप कर दिया जाए ।

श्री राम निवास मिर्धा : इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके कारण अधिकाधिक अपील होंगी । इस उपबन्ध को इस दृष्टि से रखा गया था कि समय कम लगे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 165 और 166 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 165 and 166 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 341 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 341 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 341 was added to the Bill.

खण्ड 342 और 343 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 342 and 343 were added to the Bill.

खण्ड 344

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 117, पंक्ति 36 में " in the course of " (यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते समय निर्णय या अन्तिम आदेश देते समय) के स्थान पर "at the time of delivery of" (यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते हुए निर्णय या अन्तिम आदेश देते समय) रखें । (संख्या 56)

Shri Madhu Limaye: I want to say something about it. The power for summary trial on false evidence has been given in it to the Magistrate and Judges. But 'false evidence' has not been defined. Even most true person changes his statement at the time of cross-examination. And sometimes the Magistrates or Judges give their judgement out of prejudice. Therefore, the provision of cross-examination should be excluded.

श्री राम निवास मिर्धा: एक बार यह सोचा गया था कि परस्पर-विरोधी बयान आपने आप ही इस धारा के अन्तर्गत शपथ-भंग पर कार्यवाही करने योग्य समझे जायेंगे परन्तु उसे हटा दिया गया और नये वाक्य रख दिये गए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 117, पंक्ति 36 में, "in the course of" (यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते समय निर्णय या अन्तिम आदेश देने के दौरान) के स्थान पर "at the time of delivery of " (यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते हुए निर्णय या अन्तिम आदेश देते समय) रखा जाये। (संख्या 56)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 344, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 344, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 344, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 345 से 350 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 345 to 350 were added to the Bill.

खंड 351

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 119, में पार्श्व शीर्ष में "in contempt case" (अवमान के मामले) के स्थान पर "under sections 344, 345, 349 and 350" (धारा 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें) रखें (संख्या 57)

(श्री राम निवास मिर्धा)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 351, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 351 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 351, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 352 से 359 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 352 to 359 were added to the Bill.

खण्ड 360

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 123 में पार्श्व शीर्ष में " instead of sentencing to imprisonment" (कारावास का दण्डादेश देने के बजाय) के स्थान पर "or after admonition" (सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश)। (संख्या 58)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 360, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 360, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 360, as amended, was added to the Bill.

खंड 361 और 362 विधेयक में जोड़ दिये गए।
Clauses 361 and 362 were added to the Bills.

खण्ड 363

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 126, पंक्ति 7 में " give " (उसे) के स्थान पर " give it " (उसे प्रति) रखें। (संख्या 59)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 363, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 363, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 363, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 364 से 372 विधेयक में जोड़ दिये गए।
Clauses 364 to 372 were added to the Bill.

खण्ड-373

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 141 प्रस्तुत करता हूं।

मैं एक नया उपबंध, जो अपील सम्बन्धी उपबंध है, जोड़ना चाहता हूं। अध्याय XXIX में बहुत से अपील सम्बन्धी उपबंध रखे गए हैं। यदि खंड 116 के उप-खंड (6) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट जांच सम्बन्धी कार्यवाही का समय बढ़ाता है तो उस मामले में अपचारी व्यक्ति या सामने वाली पार्टी को उच्चतर न्यायालयों में अपील करने का अधिकार होना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जिन आदेशों का उल्लेख किया है वे आपाती स्वरूप के हैं और ऐसे मामलों में पुनरीक्षण ही उपयुक्त होगा। हम नहीं समझते कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए क्योंकि पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्तियां पहले से ही हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 141 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 141 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 373 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 373 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 373 was added to the Bill.

खण्ड-374

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 127, पंक्ति 38 में "Judge" के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"or on a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than seven years has been passed."

पृष्ठ 126, पंक्ति 27 में 'किया गया है' के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

["या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किये गये विचारण पर, जिसमें वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया गया हो"] (संख्या 283)

पृष्ठ 127, पंक्ति 39 'Any Person' (कोई व्यक्ति) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Save as otherwise provided in sub-section [2] any person."

["उप-धारा (2) से भिन्न रूप में उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति"] संख्या 284

श्री एस० एम० बनर्जी : इन संशोधनों को परिचालित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जब सरकारी संशोधन आते हैं तो उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) हम थके हुए हैं। हम सोमवार को इसका अध्ययन करेंगे

अध्यक्ष महोदय : इस कार्य के लिए आज विशेष बैठक थी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस बारे में नियम है कि जब संशोधन हो तो वह यह प्रस्ताव नहीं कर सकते कि उसी दिन विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

Shri Madhu Limaye : Nobody has tried to create hinderance and so many clauses have been passed. But certain clauses regarding bail or reformatory jail are remaining. Let us discuss then on Monday.

Mr. Speaker : I was assured that the house would continue to sit till the Bill is passed.

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : यदि यह आज पारित नहीं हुआ तो राज्य सभा द्वारा पारित नहीं हो सकता।

Mr. Speaker : If the hon. Minister is to give any amendment, he may give it to-day.

हम इस पर सोमवार को चर्चा करेंगे।

अब मैं श्री मिर्धा के संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 127, पंक्ति 38 में 'Judge' के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"or on a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than seven years has been passed".

पृष्ठ 126, पंक्ति 27 में 'किया गया है' के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

["या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किये गये विचारण पर, जिसमें सात वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया गया हो"] (संख्या 283)

पृष्ठ 127, पंक्ति 39, 'Any Person' (कोई व्यक्ति) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Save as otherwise provided in sub-section (2) any person"

"उप-धारा (2) से भिन्न रूप में उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति" (संख्या 284)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 374, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

"खण्ड 374 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया"।

Clause 374 as amended, was added to the Bill.

खण्ड 375 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 375 was added to the Bill.

खण्ड 376

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 128, पंक्ति 32 "a payment" ('भुगतान') शब्द के स्थान पर "payment" ('भुगतान') शब्द रख दिया जाये (संख्या 60) **(श्री राम निवास मिर्धा)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 376, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

"खण्ड 376, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया" ।

Clause 376, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 377 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

"खण्ड 377 विधेयक में जोड़ दिया गया"।

Clause 377 was added to the Bill.

खण्ड 378

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 129, पंक्ति 12:–

"to appeal" (अपील करना) शब्दों के स्थान पर "to present an appeal" (अपील पेश करना) शब्द रख दिये जाएं (संख्या 61)

पृष्ठ 129, पंक्ति 20:–

"to appeal" (अपील करना) शब्दों के स्थान पर "to present an appeal" (अपील प्रस्तुत करना) शब्द रख दिये जायें (संख्या 62)

पृष्ठ 129, पंक्ति 28:–

"leave" (अनुमति) शब्द के स्थान पर "Spccial lcavc" (विशेष अनुमति) शब्द रख दिये जायें (संख्या 63)

पृष्ठ 129, पंक्ति 24:–

"leave" (अनुमति) शब्द के स्थान पर "Special leave" (विशेष अनुमति) शब्द रख दिये जायें (संख्या 64)

पृष्ठ 129, पंक्ति 35 : –

" sub-section" (1) (उप-धारा (1) शब्दों के पश्चात् or under sub-section (2) या उप-धारा (2) के अधीन) शब्दों को जोड़ दिया जाये (संख्या 65)

[श्री राम निवास मिर्धा]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 378 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 378, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 378, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 379

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 129, वर्तमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर

Appeal against conviction by High Court in certain Cases"

(कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध, अपील) रखें (संख्या 66)

[श्री राम निवास मिर्धा]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 379, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 379, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 379, as amended, was also added to the Bill.

खण्ड 380 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 380 was added to the Bill.

खण्ड 381

संशोधन किया गया :

"or" शब्द के स्थान पर "or a" शब्द रखा जाए (संशोधन हिन्दी में लागू नहीं होता) (संख्या 67)

[श्री राम निवास मिर्धा]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 381, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 381, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 381, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 382 और 383 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 382 and 383 were added to the Bill.

खण्ड 384

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 130, पंक्ति 35:—

"inconvenience" के स्थान पर "such inconvenence as would be" शब्द रखे जायें ("सुविधा" के स्थान पर "असुविधा" रखें) (संख्या 68)

पृष्ठ 130, पंक्ति 43:—

"Session or" शब्दों के पश्चात् "of the" शब्द रखे जायें [संशोधन हिन्दी में लागू नहीं होता] (संख्या 68)

[श्री राम निवास मिर्धा]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 384, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 384, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 384, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 385

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 131, पंक्ति 20:—

"Court" (न्यायालय) शब्द के स्थान पर "that court" (उस न्यायालय) रखें (संख्या 70)

[श्री राम निवास मिर्धा]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड 385, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 385, संशोधित रूप में, बिधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 385, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 386 से 393 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 386 to 393 were added to the Bill.

खण्ड 394

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 134, पंक्ति 16:--

"or" शब्द के स्थान पर "or of" शब्द रखें (संख्या 71) (यह संशोधन हिन्दी में लागू नहीं होता)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 394, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 394 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 394, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 395

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 134, पंक्ति 36:--

"State concerned" (किसी सम्बद्ध राज्य) शब्दों के स्थान पर "a state" (उस राज्य के) शब्द रखें (संख्या 72)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 395, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

"खण्ड 395, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 395, as amended was added to the Bill.

खण्ड 396 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 396 was added to the Bill.

खण्ड 397

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 135, वर्तमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना" (संख्या 73)

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 142 और 186 प्रस्तुत करता हूं ।

खंड 397 (2) के अनुसार उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अन्तर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जायेगा। यहां अवर न्यायालय के अभिलेख मंगाने की शक्ति दी जा रही है। अतः खंड 397 में कुछ अपीलीय उपबन्ध होने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आवेदक का अपील करने का अधिकार समाप्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए मेरा संशोधन है कि इस खंड की उपधाराओं (2) और (3) का लोप किया जाये।

श्री राम निवास मिर्धा : प्रवर समिति के सन्मुख यह बताया गया था कि अन्तर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध बहुत सी अपीलें दायर की जाती हैं जिसके कारण अपील पर निर्णय में देरी लग जाती है। अतः इस कारण इस नये उपबन्ध का बहुत स्वागत किया गया था। बहुत सोच विचार के पश्चात यह उपबन्ध रखा गया था अतः इसका लोप नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 135, वर्तमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये--

"पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 142 और 186 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 142 and 186 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 397, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 397, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 397, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 398 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 398 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 398 was added to the Bill.

खण्ड 399

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 143 प्रस्तुत करता हूं । यहां पर भी अपील करने की शक्ति वापस ली जा रही है। वास्तव में विलम्ब तो पुलिस अधिकारियों द्वारा दोषपक्ष तैयार करने में और कनिष्ठ न्यायालय में लगता है। अतः इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्री दिनेश जोरदर के संशोधन को स्वीकार करने से पुनरीक्षण आवेदन पत्रों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जायेगी और बहुत भ्रम उत्पन्न हो जायेगा । अतः वर्तमान उपबन्ध बहुत आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 143 सभा में मतदान ले लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 143 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 399 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 399 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 399 was added to the Bill.

खण्ड 400 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 400 was added to the Bill.

खण्ड 401

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 136, पंक्ति 34 में से "thereto" (उससे) शब्द का लोप करें (संख्या 74)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 401, संशोधित रूप में, विधेयक का अग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 401, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 401, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 402 से 404 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 402-404 were added to the Bill.

खण्ड 405

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 137 में तथा पार्श्व शीर्ष में भी "or Magistrate" (या मजिस्ट्रेट) शब्दों का लोप करें (संख्या 75)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 405, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 405, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 405, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 406, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 406 was added to the Bill.

खण्ड 407

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं अपना संशोधन संख्या 192 प्रस्तुत करता हूं । खण्ड 407 के अधीन रोकादेश प्राप्त करने का उपबन्ध सरकार लेना चाहती है। रोकादेश प्राप्त कर सकने की यह व्यवस्था जनता की स्वतन्त्रता तथा जनता के हित को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

श्री राम निवास मिर्धा : विधि आयोग ने ही नहीं अपितु अन्य पिछले आयोगों तथा समितियों ने भी इस बात को महसूस किया कि इस उपबंध का, जिसमें अन्तरण के लिए आवेदन पर स्वयं हीरों का देश मिल जाने की व्यवस्था है, कई मामलों में दुरुपयोग किया गया है और इससे कार्यवाही पूरी होने में विलम्ब होता है, इसीलिए यह उपबन्ध रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 192 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 192 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 407 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 407 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 407 was added to the Bill.

खण्ड 408

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 140, पंक्तियां 3-4 :– "direct (a)" (निदेश) शब्द के स्थान पर "order" (आदेश) रखें (संख्या 76)

पृष्ठ 140, पंक्तियां 6 और 7 का लोप करें (संख्या 77)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 408, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 408, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया :
Clause 408, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 409

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 140, पंक्तियां 17-19 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :–

"409(1) सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील प्रत्याहृत कर सकेगा या कोई ऐसा मामला या अपील, जिसे उसने उसके हवाले किया हो, वापस मंगा सकेगा।" (संख्या 78-79)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 409, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 409, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 409, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 410 से 427 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 410-427 were added to the Bill.

खण्ड 428

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 145, पंक्ति 19,— "accused" (अभियुक्त) शब्द के स्थान पर "accused person" (अभियुक्त व्यक्ति) रखें (संख्या 80)

पृष्ठ 145, पंक्ति 20,— "by him" (उसके द्वारा) शब्दों के पश्चात "during the investigation inquiry or trial of the same case and" (उसी मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान) शब्द रखें। (संख्या 81)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 428, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 428, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 428 was added to the Bill.

खण्ड 429 से 434 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 429-434 were added to the Bill.

खण्ड 435

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 147, पंक्ति 27 के वर्तमान शीर्ष में "with the concurrence of" (की सहमति से कार्य) शब्दों के स्थान पर "after Consultation with" (से परामर्श करने के पश्चात् कार्य) शब्द रखें। (संख्या 82)

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 435, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 435, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 435 was added to the Bill.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 सितम्बर, 1973/12 भाद्र 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, 3rd September, 1973/Bhadra 12, 1895 (Saka).

MGIPRRND—33 LSS/73—Sec. VII—21.12.73—490.